भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3827
सोमवार, 24 मार्च, 2025/03 चैत्र, 1947 (शक)

नए ईएसआईसी अस्पतालों के स्थान

3827. डॉ. शशि थरूर:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि**:**

(क) क्या सरकार ने देश भर में स्थापित किए जाने वाले 105 नए ईएसआई अस्पतालों के स्थानों को चिह्नित कर लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या केरल में कोई अस्पताल स्थापित करने की योजना है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) ईएसआई अस्पतालों और औषधालयों में आयुष इकाईयों की स्थापना की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है; और
(घ) ईएसआई अस्पतालों में चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है तथा उनकी वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): केरल सहित देश भर में नव अनुमोदित कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) अस्पतालों के स्थानों का विवरण अनुबंध-I में दिया गया है। देश भर में ईएसआईसी/ ईएसआईएस अस्पतालों और औषधालयों में आयुष इकाइयों का विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

ईएसआई अस्पतालों में चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम निम्नानुसार हैं:

i) उन स्थानों पर देश में पीएमजेएवाई पैनलबद्ध अस्पतालों के माध्यम से ईएसआई लाभार्थियों को द्वितीयक और तृतीयक देखभाल चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के साथ सहयोग, जहां ईएसआई चिकित्सा सेवाएं पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं।

ii) स्थायी निःशक्तता लाभ (पीडीबी)/ आश्रित लाभ (डीबी) लाभार्थियों के लिए लाभ की दरों में वृद्धि।

iii) बीमित व्यक्तियों (आईपी)/बीमित महिलाओं (आईडब्ल्यू) को परेशानी मुक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए, ईएसआई योजना के तहत नकद लाभ दावों को प्रस्तुत करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल/ सुविधा शुरू की गई है।

**

*****

अनुबंध-I

“नए ईएसआईसी अस्पतालों के स्थान” के संबंध में डॉ. शशि थरूर द्वारा दिनांक 24.03.2025 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3827 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

105 नए स्वीकृत अस्पतालों का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	**राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र**	**स्थान**
1	आंध्र प्रदेश	गुंटूर, विजयनगरम, पेनुकोंडा, विशाखापत्तनम, श्री सिटी (नेल्लोर), नेल्लोर, अच्युतापुरम, कुरनूल, श्रीकाकुलम
2	बिहार	बेगुसराय, मुज़फ़्फ़रपुर, भागलपुर
3	छत्तीसगढ	बिलासपुर
4	दिल्ली (संघ राज्य क्षेत्र)	नरेला
5	गोवा	मुलगांव गोवा
6	गुजरात	साणंद, हलोल, सावली, अलंग*
7	हरियाणा	बहादुरगढ़, बावल, मानेसर, हिसार, सोनीपत, अंबाला, रोहतक, करनाल
8	हिमाचल प्रदेश	काला अंब, ऊना
9	जम्मू और कश्मीर (संघ राज्य क्षेत्र)	ओमपुरा (श्रीनगर)
10	झारखंड	देवघर,बोकारो
11	कर्नाटक	डोड्डाबल्लापुर, बोम्मासंद्रा, शिवमोग्गा, नरसापुरा, हारोहल्ली, बेल्लारी, तुमकुर, उडुपी
12	केरल	पेरंबवूर, इडुक्की
13	लद्दाख (संघ राज्य क्षेत्र)	लेह
14	मध्य प्रदेश	पीथमपुर, जबलपुर, सतना
15	महाराष्ट्र	बुटीबोरी (नागपुर), पालघर, सतारा, पेन, जलगांव, चाकन, पनवेल, बारामती, शेंद्रा, सिन्नर, वालुज, बल्लारपुर, अमरावती, सांगली, अहमदनगर, वर्धा, रत्नागिरी, कर्जत, खोपोली
16	ओडिशा	जगन्नाथ प्रसाद (भुवनेश्वर), डुबुरी, पारादीप, झारसुगुड़ा, बालासोर, बेरहामपुर
17	पंजाब	सास नगर (लालरू), मालेरकोटला, राजपुरा
18	राजस्थान	नीमराना, चित्तौड़गढ़, किशनगढ़-अजमेर
19	सिक्किम	रांगपो
20	तमिलनाडु	श्रीपेरुम्बुदूर, डिंडीगुल, वानियमवाडी, तूतीकोरिन, कन्याकुमारी, चैंगलपट्टू, इरोड
21	तेलंगाना	रामागुंडम, महबूबनगर, शमशाबाद
22	त्रिपुरा	श्यामलीबाज़ार (अगरतला)
23	उत्तर प्रदेश	मेरठ, फ़िरोज़ाबाद, शाहजहाँपुर, गजरौला, मुरादाबाद
24	उत्तराखंड	गोरखपुर, बुलन्दशहर, ग्रेटर नोएडा, अयोध्या
25	पश्चिम बंगाल	देहरादून, काशीपुर, सिडकुल क्षेत्र हरिद्वार

नोट: पेनुकोंडा (आंध्र प्रदेश), पेरंबवूर (केरल), वानियमवाडी (तमिलनाडु), फिरोजाबाद और गजरौला (उत्तर प्रदेश) और देहरादून (उत्तराखंड) में स्वीकृत परियोजना को संबंधित राज्य सरकार द्वारा भूमि आवंटन न होने के कारण फरवरी 2025 में वापस ले लिया गया है।

* अगस्त 2024 में इस परियोजना को वापस ले लिया गया।
स्रोत: कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी)

अनुबंध-II

"नए ईएसआईसी अस्पतालों के स्थान" के संबंध में डॉ. शशि थरूर द्वारा दिनांक 24.03.2025 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3827 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

देश भर में ईएसआईसी/ईएसआईएस अस्पतालों और औषधालयों में आयुष इकाइयाँ

क्र.सं.	स्थान का प्रकार	आयुर्वेद	योग	यूनानी	सिद्ध	होम्योपैथी	कुल
1	ईएसआईसी अस्पताल	43	48	0	0	31	122
2	ईएसआई डिस्पेंसरी	17	0	0	0	11	28
3	ईएसआईएस	52	24	07	08	28	119
4	अस्पताल	71	01	04	43	18	137
	कुल	183	73	11	51	88	406

स्रोत: कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी)

*****